RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 05 / 2025, **GCMS NO. 2025/44**

प्रार्थी–

1. श्री वेहनाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री सुखराज पुत्र दानमल जाति खत्री निवासी सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
3. अध्यक्ष नगरपालिका मण्डल सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.2007 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्रीमती इन्द्रा चारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश डाबी, अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक :25.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.2007 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियम के तहत मौजा सिणधरी चौसिरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.2007 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी व स्वर्गीय जीयाराम पुत्र मेहराराम जाट निवासी, सिणधरी चारणान का संयुक्त रुप से खरीदसुदा भूखण्ड ग्राम सिणधरी चारणान की पुरानी आबादी भूमि खसरा नंबर बालोतरा रोड के पीछे आवासीय प्रयोजनार्थ का आया हुआ है जो भूखण्ड प्राथी व स्वर्गीय जीयाराम नें रतनलाल पुत्र नन्द किशोरजी जाति खण्डेलवाल निवासी बालोतरा से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 20.10.2023 को खरीद किया था, जिसका पंजियन कार्यालय उप पंजीयक सिणधरी मे पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 193 मे पृष्ठ संख्या 170 कम संख्या 02303081101537 पर दिनांक 20.10.2023 को पंजिबद्ध है। जिस भूखण्ड पर बाद खरीद प्रार्थी व स्वर्गीय जीयाराम का एकमात्र कब्जा चला आ रहा है। जीयाराम का करीब 4–5 माह पहले देहांत हो चुका है। उक्त भूखण्ड का नाप व पडोस निम्न प्रकार है भूखण्ड का नाप 30 बाई 45 1350 वर्ग फिट है। उतरी भुजा 45 फुट भंवरलाल खण्डेलवाल, दक्षिणी भुजा 45 फुट टीकूराम व शोभाराम का प्लॉट, पूर्वी भुजा 30 फुट रास्ता तथा पश्चिमी भुजा 30 फुट गोरधनराम का प्लॉट आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक से मिलीभगत कर प्रार्थी व स्वर्गीय जीयाराम के भूखण्ड का ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा से जो पटटा प्राप्त किया है, उसमे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 मे विहित प्रावधानो की पालना किये बिना ही जारी किया गया है। वह भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की नहीं है बल्कि प्रार्थी व स्वर्गीय जीयाराम ने रतनलाल से जमीन खरीदी थी जो भूमि रतनलाल के स्वामित्व की थी। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जो पटटा जारी किया गया है जिसमे पंचायत राज नियम 145 के तहत पटटा प्राप्त करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिया और न ही उस प्रार्थना पत्र को किसी रजिस्टर मे दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के लिये कोई नक्शा शुल्क भी नहीं लिया गया, न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी, न ही आम सूचना जारी कर कोई आपत्तियां आंमत्रित नहीं की गयी, न ही इस पटटा बाबत पंचायत ने बैठक मे प्रस्ताव रखकर उसका अनुमोदन प्राप्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय सिणधरी मे किये गये दावे के नोटिस दिनांक 17.01.2025 को मिलने पर हमे जानकारी हुई कि अप्रार्थी ने जिस भूमि का पटटा पेश किया है. वह पटटा फर्जी व कूटरचित है जिसका ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा मे कोई रेकर्ड नहीं है। उक्त पटटा संख्या 3 जारी होने के बाद पंजियन करवाना आवश्यक होता है जो पटटा सबंधित पंजियन विभाग से पंजियन भी नहीं है, जिससे भी साफ जाहिर होता है कि उक्त पटटा फर्जी व कूटरचित है। इससे पूर्व भी प्रार्थी का भाई, भतीज व पूर्व बर्खास्त सरपंच हिमताराम सैन के विरूद्ध फर्जी पटटे जारी करने के मुकदमे भी हो रखे है जो वर्तमान में बालोतरा व सिणधरी न्यायालयो मे विचाराधीन है। अधिवक्ता प्रार्थी ने

अति. जिला कलक्टर
बालोतरा

यह भी कथन किया कि उक्त आलोच्य पट्टा प्रारूप बाजार से लिया जाकर कुटरचित तैयार कर विना सरकारी मुद्रालय से अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा ने पटटा पर पटटा जारी कर गैरकानूनी कृत्य किया है एवं फर्जी पट्टा है। उक्त आलोच्य पट्टा नियमानुसार तहसील द्वारा रजिस्ट्री भी करवानी होती है। उक्त आलोच्य पट्टा को न तो रजिस्टर्ड करवाया गया है और न ही पंचायतीराज नियमों के अधीन जारी किया गया है। उक्त पट्टे संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर अवगत करवाया गया कि इस संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टे संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत द्वारा जला दिया गया है। पटटा संख्या 3 दिनांक 24.09.2007 से पूर्व उक्त भूमि खसरा नंबर 4/1 का पटटा दिनांक 25.01.1975 को विकास अधिकारी सिणधरी द्वारा गुमनाराम पुत्र रामा, जाति मेगवाल के हक मे जारी किया गया था। इसके बाद गुमनाराम से उक्त भूखण्ड भंवरलाल पुत्र गुणेशमल जाति खण्डेलवाल निवासी सिणधरी चौसीरा ने खरीद किया था। इसके बाद उक्त भूखण्ड भंवरलाल खण्डेलवाल ने रतनलाल को बेचान किया, तत्पश्चात प्रार्थी व स्वर्गीय जीयाराम ने खरीद किया था। इस प्रकार उक्त आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम के नियमों की अवहेना करते हुए जारी करने से अस्पात योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 3 दिनांक 24.09.2007 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 का रहवासीय भूखण्ड मौजा सिणधरी चौसिरा की आबादी भूमि में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.2007 पूर्णतया विधि सम्मत है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा के संबंध में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया तथा मूल रेकर्ड जला दिया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा पत्र के जरिये श्रीमान को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत कार्यालय एंव रेकर्ड रूप में अचानक आग लगन की वजह से उक्त पटटे संबंधित मिसल ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में मौजुद नहीं है, जिसे पेश नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई हैं तथा यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा प्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता हैं तथा न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय में पत्रावली के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नही हैं। इसके अलावा अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त आलोच्य पट्टा कुटरचित एव फर्जी जारी किया गया हैं, लेकिन इस संबंध में प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही प्रश्नगत पट्टा फर्जी होने पर किसी भी पंचायत राज संस्था के द्वारा उपरोक्त पटटे को अपनी जांच में फर्जी करार दिया हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में सारे तथ्य गलत, निराधार एवं भ्रम उत्पन्न करने हेतु अभिकथित किये है, जबकि वास्तविकता यह

जिला कलक्टर
जालोर

है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे विधि अनुसार पट्टा जारी किया हैं तथा इसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी किया हैं, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही हैं। आग लगने के कारण ग्राम पंचायत का रेकर्ड नष्ट हो गया, जिससे अप्रार्थी के पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु इससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता हैं कि पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी करने की कोई पत्रावली कायम नहीं की हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड खरीदसुदा जरिये रजिस्टर्ड है, इसलिए उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं स्वामित्व है। इस सबंध में जहां भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है, तो स्वामित्व तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का का है। इसके लिए स्वामित्व तय करने के लिए प्रार्थी को सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। निगरानी के माध्यम सें भूमि पर स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधारित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह भी प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा मौजुद रहा हो, तो इस बारे में प्रार्थी द्वारा दस्तावज पेश नहीं किया गया। साथ ही कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जहां पर म्याद प्राविधित नहीं हो वहां पर रिजनेबल पिरियड 03 वर्ष समझा जायेंगा, इसके अतिरिक्त लिमिटेशन एक्ट शेडयूल 137 में भी जहां पर म्याद नहीं प्रारम्भिक हो, वहां 03 वर्ष की अवधि रिजनेबल पिरियड माना गया है। इस प्रकरण मे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.2007 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता, औचित्यता या अनियमितता के बारे मे लगभग 18 वर्ष बाद असाधारण विलम्ब (Inordinate delay) के बाद चुनौती दी हैं। इस असाधारण विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से पृथक से कोई धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हैं। उपरोक्त निगरानी विलम्ब से पेश किये जाने के क़ारण पोषणीय नहीं होने से प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध होते हुए भी रिविजन प्रस्तुत की गयी है, पंचायतराज अधिनयिम की धारा 61 एवं नियम 166 में स्पष्ट है कि अपील के प्रावधान है कि उक्त अनुतोष हेतु पंचायत समिति में अपील पेश करे, न कि न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी पेश करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार बाहर पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार बाहर एवं म्याद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 03 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो फर्जी है एवं उक्त प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पंचायत नियमों के तहत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई और न ही पंचायत राज नियमों की पालना की गई, उक्त तथाकथित पट्टा से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड या दस्तावेज नहीं है तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड खरीदसुदा जरिये रजिस्टर्ड है, इसलिए उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं स्वामित्व है। इस सबंध में जहां भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है, तो स्वामित्व तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। इसके लिए स्वामित्व तय करने के लिए प्रार्थी को सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। निगरानी के माध्यम से भूमि पर स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टे की प्रकिया/वैद्यता को देखा जाना है, न कि किसी का स्वामित्व तय करना। इस संबंध में उक्त आलोच्य पटटा के संबंध में ग्राम पंचायत को मूल अभिलेख तलब करने पर स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा पत्र के जरिये अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पटटे संबंधित मिसल ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में मौजुद नहीं है, जिसे पेश नहीं किया जा सकता। यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा प्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता हैं तथा न्यायालय द्वारा आलौच्य अंतिम निर्णय में पत्रावली के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नही हैं। यद्यपि रिकॉर्ड पर पट्टे संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं है, फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे कि उक्त 2007 में जारी किये गये आलोच्य पट्टे को फर्जी करार दिया जा सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि "अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नहीं, किन्तु असाधारण विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती है।" हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा वर्ष 2007 में जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध 2025

जिला कलक्टर
जालोर

में अर्थात 18 वर्ष पश्चात यह निगरानी अत्यंत ही विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिसका प्रार्थी द्वारा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं, तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए, इसके लिए प्रार्थी स्वतंत्र है। साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं, जिसमे पक्षकारों के कब्जे एवं स्वामित्व अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप आलोच्य पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.09.2007 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा